न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 40/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रमेश कुमार आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर
2. किशकिन्धा पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर
3. कजोडी बाई पत्नी ग्यारसीलाल जाति कुश्वाह
4. श्रीमती शिमला जिन्दल पत्नी कमलेश कुमार जेन
5. रामावतार आत्मज दीनदयाल जाति खाती
6. लक्ष्मण आत्मज चौथमल जाति खाती
7. भंवरलाल आत्मज प्रभूलाल जाति गुर्जर
   निवासीगण ग्राम सहण, तहसील नैनवा जिला बूंदी

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम सहण तहसील नैनवा जिला बूंदी।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर बूंदी (राज0)

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री सैफुद्धीन अंसारी अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित आदेश संख्या–459 दिनांक 22.09.2017 बावत आवंटन आदेश संख्या 24 दिनांक 27.10.98 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहण को खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि खसरा संख्या 1190 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सहण को एतद्द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहण के विद्यालय भवन एंव खेल मैदान के लिये आंशिक संशोधन के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि जिला कलक्टर बूंदी द्वारा दिनांक 27.10.1998 को आराजी खसरा नम्बर 1190 की रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सहण तह0 नैनवा को राजकीय मा0 विद्यालय सहण के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई। जिला कलक्टर बूंदी द्वारा दिनांक 18.12.2012 को आदेश पारित कर आराजी खसरा नम्बर 1253 की रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि मे से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय सहण की गई थी तत्पश्चात दिनांक 22.9.17 को आदेश पारित कर आवंटित भूमि ख0 सं0 1190 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहण के विद्यालय भवन एंव खेल मैदान के लिये जेरअपील आदेश पारित किया गया। ख0 नं0 1190 की 7 बी0 2 बि0 भूमि दिनांक 27.10.1998 को खेल मैदान हेतु आवंटित की गई है जिसका नामा0 विघालय के नाम

संभागीय आयुक्त
कोटा सभांग, कोटा

दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि ख0 नं0 1253 की रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा मे से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजकीय सी0 मा0 वि0 सहण के भवन हेतु आवंटित की गई है जिसका नामा0 विघालय के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त आवंटन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी संशोधित आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनीतिक कारणो से विद्यालय भवन के लिये आवंटित भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण नही करवाकर उक्त भूमि को कतिपय अतिक्रमियों के लिये छोडकर खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर भवन एंव खेल मैदान के लिये संशोधित आदेश पारित किया है जो काबिज निरस्तनीय है। जिला शिक्षा अधिकारी मा0 देवपुरा जिला बूंदी से निवेदन करने पर भी उनके द्वारा सुनवाई नही किये जाने के कारण सिविल न्यायाधीश नैनवा के न्यायालय मे स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रस्तुत प्रा0 पत्र 2/2017 को सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये दिनांक 6.2.2017 को राज्य सरकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान कर आंवटित भूमि का आवंटन के लिये घोषित विषयक के अनुसार कार्य किया जाता है तब तक तो कोई प्रतिबंध नही है और आवंटन आदेश मे परिवर्तन किये बगेर खसरा नम्बर 1190 की भूमि का खेल मैदान के अलावा किसी अन्य उद्धेश्य के लिये प्रयोग नही किया जाये। उक्त आदेश जिला कलक्टर बूंदी के द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप होने के उपरांत ही जिला कलक्टर बूंदी द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से क्षेत्राधिकारविहीन आक्षेपित आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। उक्त संशोधित आदेश ग्रामवासियान व अपीलांट्स के व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट 1 लगायत 3 राजकीय उ0मा0 वि0 सहण के विद्यालय विकास एंव प्रबध समिति के सदस्य है एंव अपीलांट नं0 4, 5, 6 व 7 ग्राम सहण के निवासी है जिनकी संताने व रिश्तेदार तथा उक्त ग्राम के बालक बालिकायें विघालय सहण मे अध्ययनरत है। अपील विषयक आराजी के संबध मे अपीलांट के हित व अधिकार व्यक्तिगत व सार्वजनिक रूप से प्रभावित हो रहे है अतः अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.9.2017 को निरस्त किया जावे एवं पूर्व आदेश दिनांक 27.10.1998 को यथावत रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि जिला कलक्टर बूंदी द्वारा आदेश संख्या 24 दिनांक 27.10.98 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहण को खेल मैदान हेतु भूमि खसरा संख्या 1190 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा ग्राम सहण आवंटित की गई थी जिसको जिला कलक्टर बूंदी ने राजनीतिक कारणो से विद्यालय भवन के लिये आवंटित भूमि पर विद्यालय भवन का निर्माण नही करवाकर भूमि को कतिपय अतिक्रमियों के लिये छोडकर खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि पर भवन एंव खेल मैदान के लिये संशोधित आदेश संख्या–459 दिनांक 22.09.2017 पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। उक्त संशोधित आदेश ग्रामवासियान व अपीलांट्स के व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की गई है अतः प्रार्थना पत्र बावत अपील पेश करने की इजाजत स्वीकार किया जावे। बहस मे आगे बताया कि खसरा नम्बर 1190 की भूमि का खेल मैदान के अलावा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

किसी अन्य उद्धेश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता। उक्त आशय का वाद सिविल न्यायालय नैंनवा जिला बूंदी के यहां विचाराधीन है जिसमे अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.9.2017 निरस्त किया जावे एवं पूर्व आदेश दिनांक 27.10.1998 यथावत रखा जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे जाहिर किया कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी मे कोई हित निहित नही है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को उक्त आदेश को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रकरण मे अपीलांट व्यथित पक्षकार नही होने से प्रथम दृष्टया ही अपील चलने योग्य नही है। बहस मे यह भी बताया कि उक्त विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय मे क्रमोन्नत हो जाने से खैल मैदान हेतु आवंटित उक्त भूमि पर विद्यालय भवन बनाये जाने के संबध मे उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा गठित समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर तद्नुसार अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी मे हित निहित होना वर्णित करते हुये व्यथित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत इजाजत अपील पेश करने के साथ यह अपील पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार कर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को निर्णित किया जाना आवश्यक है। जिला कलक्टर बूंदी ने जेरअपील आदेश सं0 459 दिनांक 22.9.2017 से पूर्व आदेश सं0 24 दिनांक 27.10.98 राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहण को खेल मेदान हेतु आवंटित भूमि खसरा सं0 1190 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सहण को एतद्द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहण के विद्यालय भवन एवं खेल मेदान के लिये आंशिक संशोधन किया है। उक्त संशोधित आदेश से अपीलांट नं0 1 लगायत 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम सहण के विद्यालय विकास एवं प्रबध समिति के सदस्य होने तथा अपीलांट नं0 4, 5, 6 व 7 ग्राम सहण के निवासी है जिनकी संताने व रिश्तेदार तथा ग्राम के बालक–बालिकायें उक्त विघालय मे अध्ययनरत होने से अपील विषयक आराजी के संबध मे अपीलांट्स के हित व अधिकार व्यक्तिगत व सार्वजनिक रूप से प्रभावित होना वर्णित करते हुये अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की है। अपील के साथ प्रस्तु उक्त प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार निहित नही है ऐसी स्थिति मे अपीलाट्स प्रभावित/व्यथित पक्षकार होना प्रकट नही होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा तद्नुसार अपील अपीलांट चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा